न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

मु.न. 08/2017

उनवान

1. सुरेन्द्रसिंह पुत्र पुष्कर सिंह जाति जाट, उम्र वर्ष, निवासी ग्राम आष्टीकला, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

—**प्रार्थी**

बनाम

1. जडाव देवी पत्नि स्व० मालीराम, जाति जाट निवासी ग्राम आष्टीकला तहसील चौमूं जिला जयपुरं
2. राजेन्द्र कुमार पिता मालीराम, समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम आष्टीकला तहसील चौमूं।
3. छोटुराम पिता मालीराम, समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम आष्टीकला तहसील चौमूं।
4. सुभाषचन्द पिता मालीराम, समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम आष्टीकला तहसील चौमूं।
5. रामसिंह पिता मालीराम, समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम आष्टीकला तहसील चौमूं।
6. सांवरमल पिता भागूराम, जाति जाट, निवासी ग्राम आष्टीकला तहसील चौमूं।
7. गिरधारी पिता भागूराम, जाति जाट, निवासी ग्राम आष्टीकला तहसील चौमूं।
8. आ.बी.सी बैंक शाखा किशनपुरा, जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील चौमूं जिला जयपुर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील चौमूं जिला जयपुर।

—**अप्रार्थीगण**

10. मुलचन्द पुत्र भागुराम जाति जाट निवासी ग्राम आष्टीकला तहसील चौमूं जिला जयपुर। (सन् 2001 से जानकारी मे नही है)

—**तरबीबी पक्षकार**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 13.09.2023

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम आष्टीकला तहसील चौमूं जिला जयपुर मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1515 रकबा 2.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 1517 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 1518 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 1520/1 रकबा 0.67 हैक्टर कुल किता 4 का कुल रकबा 3.22 हैक्टर, स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2024.04.16 10:00:25 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वर्णित भूमि सम्पूर्ण प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिसका प्रार्थी एक मात्र काबिज मालीक स्वामी है जिसका उपयोग उपभोग करने का प्रार्थी को हर प्रकार से अधिकार प्राप्त है। आराजी खसरा नम्बर 1517 मे आबादी भूमि है तथा 1518 मे रास्ता है जो खसरा नम्बर 1569/2586 मे आम रास्ता है जिस रास्ते से खसरा नम्बर 1523 की पूर्वी सीमा के पास से होता हुआ खसरा नम्बर 1518 के रास्ते मे शामिल होता है। उक्त रास्ते से प्रार्थी अपने निवास स्थान व अपनी खातेदारी भूमि मे आता जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर

खसरा नम्बर 1523 की भूमि अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 व 10 की खातेदारी की भूमि हैं जिस भूमि मे से होकर दक्षिण से उत्तर की तरफ 80 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौड़ाई का यानि कुल 320 मीटर का रास्ता की भूमि है जो भूमि हाल नक्शे मे लाल स्याही से डोटेड लाईन प्रस्तावित रास्ता है। खसरा नम्बर 1523 के सींव जोड़ उत्तर दिशा मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1515 है। तथा प्रार्थी व उसके परिजन खसरा नम्बर 1523 की पूर्वी सीमा के पास से बने रास्ते से ही अर्से दराज से आवागमन रहा है। तथा उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता नही है।

खसरा नम्बर 1518 मे सिमेन्टेड रोड बनी हुई है। जों काफी समय पूर्व ही रास्ते में बनाई जा चुकी है। तथा खसरा नम्बर 1523 मे प्रार्थी के आने जाने का पक्का रास्ता है। जिस रास्ते मे अप्रार्थीगण प्रार्थी व उसके पूर्वजो को कभी भी पूर्व मे आवागमन में रूकावट नही की, लेकिन अब दिनाक 15–11–2016 को अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते मे आवागमन मे रूकावट किया तब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड व नक्शे मे तरमीम करवाने हेतु कहा गया तथा प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि मे से रास्ते की भूमि के बदले भूमि सींव जोड देने तथा उक्त रास्ते की भूमि के बदले डी.एल.सी. की दुगनी राशि देने को कहा गया लेकिन अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 द्वारा रास्ते की भूमि देने के लिए साफ इनकार कर दिया। इस कारण प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान् जी के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 1515 रकबा 2.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 1517 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 1518 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 1520/1 रकबा 0.67 हैक्टर कुल किता 4 का कुल रकबा 3.22 हैक्टर, वाके ग्राम आष्टीकला तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित के दक्षिणी तरफ अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 की भूमि खसरा नम्बर 1523 रकबा 0.54 हैक्टर भूमि की पूर्वी सीमा के सारे सारे 80 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई का रास्ते को राजस्व रिकार्ड व नक्शे मे दर्ज कर उक्त रास्ता प्रार्थी के आवागमन हेतु रास्ते की भूमि के बदले सींव जोड़ भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे व सरकारी डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि जमा करवाकर राजस्व रिकार्ड व नक्शे मे रास्ता कायम किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

पत्रावली प्रस्तुत हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 10 बावजूद तलबी अनुपस्थित है अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अप्रार्थी संख्या 01 लगा0 07 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए का पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी के खसरा नम्बर 1518 गैर मु० रास्ता आगे जाकर खसरा नम्बर 1520/1 जो प्रार्थी की खातेदारी है, तक जाता है जिसके बाद खसरा नम्बर 1520/1 की पश्चिमी सीमा पर खसरा नम्बर 1521 के सहारे सहारे है क्योंकि खसरा नम्बर 1521, 1519, 1522 के खातेदार काश्तकार का सिंचाई का साधन खसरा नम्बर 1516 में स्थित है जिसकी पंहुच के लिये यह खसरा नम्बर 1518 का उपयोग करता है, इस प्रकार खसरा नम्बर 1521, 1519, 1516 के खातेदार चौथमल पुत्र भूरा व प्रार्थी के मध्य सामन्जस्य मौके पर रास्ता चालू अर्से दराज से कर रखा है। परन्तु प्रार्थीगण अप्रार्थीगण से रंजिशवश नुकसान कारित करने की गरज से हाजा प्रार्थना पत्र पेश किया है जिससे अप्रार्थीगण की खातेदारी को नुकसान हो सके, तथा खसरा नम्बर 1523 के विभाजन कर नाकाबिल काश्त किया जा सके। जिस पर खसरा नम्बर 1522, 1519, 1521 के खातेदार अवैध अतिक्रमण करने की एलानियां धमकी देता रहता है इस प्रकार मौके की वास्तविक स्थिति संलग्न जवाब प्रार्थना पत्र नक्शा A, B, C बरंग पीला है। प्रार्थी के खसरा नम्बर 1519 पर सुखाधिकार प्राप्त है, जिसके सम्बन्ध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान् को प्राप्त नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2024.04.16 10:00:25 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1518, 1515, 1517, 1516 व खसरा नम्बर 1520/1 को जोडने बाबत् रास्ता खसरा नम्बर 1519 से होकर चालू है तथा खसरा नम्बर 1520/1 सड़क के किनारे पर स्थित है इस प्रकार यदि प्रार्थी को रास्ते का हक धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्राप्त करने को साबित भी होता है, तब भी खसरा नम्बर 1519 से होकर ही प्राप्त होते है जो मौके पर कम दूरी (जो लगभग 70 मीटर है) तथा खसरा नम्बर 1516, 1522, 1521, 1519 के खातेदार के लिये भी उपयोगी साबित होगा।

यह कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मिन उत्तरदाता की खातेदारी को विभाजित करता है, जिससे मिन उत्तरदाता की आराजी नाकाबिल काश्त हो जावेगी और अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसे वहन करने के लिये मिन उत्तरदाता उत्तरदायी नहीं है। मौके की वास्तविक स्थिति अनुसार संलग्न नक्शा A,B,C बरंग पीला से चालू रास्ता दर्शाया गया है। जिस कारण से भी नया रास्ता लेने का अधिकार प्रार्थी को नहीं है।

अतः श्रीमान् जी को प्रार्थना पत्र का जवाब मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का मिन उत्तरदाता की खातेदारी से रास्ते का कोई हक व अधिकार नहीं रहा है, ना हीं है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र हैरान व परेशान करने वाला होने के कारण खारिज किये जाने के आदेश फरमावें।

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के संबंध में तहसीलदार चौमूं से रिपोर्ट दिनांक 09.02.2021 प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट ग्राम आष्टीकलां की जमाबंदी सम्वत 2075—2078 जमाबन्दी 2073 (वर्ष 2018) से स्थायी के खाता संख्या 483 ख0न0 1515/2.42, 1517/0.10, 1518/0.03, 1520/1/0.67 कुल किता 4 रकबा 3.22 है0 भूमि की खातेदारी 1. सन्तोष देवी जाट पत्नी सुरेन्द्र सिंह हि0 50/161 जाति जाट सा0 देह राहिन यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चौमूं 2. सुरेन्द्र सिंह पुत्र पुष्कर सिंह हिस्सा 111/161 जाति जाट सा0देह राहिन बैंक ऑफ बडोदा शाखा बधाल के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि के ख0न0 1517 में पुख्ता मकानात बनाकर मय पशुधन के निवास कर रहे है। जिसमें वर्तमान में जाने के लिए राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ता नही है।

प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि के लगता हुआ ग्राम आष्टीकला का ख0न0 1523 रकबा 0.54 है0 किस्म बारानी—3 से रास्ता चाहा गया है। जिसकी खातेदारी 1. गिरधारी पुत्र भागु हिस्सा 1/4 जाति जाट सा0 देह राहिन ओ0बी0सी0 बैंक शाखा किशनपुरा 2. छोटुराम पुत्र मालीराम हिस्सा 1/20 जाति जाट सा0 देह 3. जडाव देवी पत्नी मालीराम हिस्सा 1/20 जाति जाट सा0देह राहिन ओ0बी0सी0 बैंक शाखा किशनपुरा 4. मूलचन्द पुत्र भागु हिस्सा 1/4 जाति जाट सा0देह 5. राजेन्द्र कुमार पुत्र मालीराम हिस्सा 1/20 जाति जाट सा0देह राहिन ओ0बी0सी बैंक किशनपुरा 6. रामसिंह पुत्र मालीराम हिस्सा 1/20 जाति जाट सा0देह 7. सुभाष चन्द्र पुत्र मालीराम हिस्सा 1/20 जाति जाट सा0देह राहिन ओ0बी0सी0 बैंक शाखा किशनपुरा 8. सांवरमल पुत्र भागूराम हिस्सा 1/4 जाति जाट सा0देह राहिन ओ0बी0सी0 बैंक शाखा किशनपुरा दर्ज रिकार्ड है एवं उक्त ख0न0 हस्तेडा बधाल सड़क से गीदा का बास जाने वाले रास्ते की उतरी सीमा पर लगता ख0न0 1523 की पूर्वी सीमा पर 80 [illegible] लम्बा 4 मीटर चौडा यानी 320 वर्गमीटर का रास्ता चाहा गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2024.04.16 10:[illegible]0:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी को रास्ता ख0न0 1523 रकबा 0.[illegible]0 की पूर्वी सीमा पर लगता हुआ दक्षिण से उत्तर की तरफ नक्शे में लाल रंग से दर्शाये अनुसार 82 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई अर्थात 328 वर्ग मीटर भूमि रास्ते में जायेंगी जो की प्रार्थी की खातेदारी भूमि के ख0न0 1515 कें लगता हुआ है। उक्त रास्ता दिये जाने पर उक्त ख0न0 1523 के दो भाग होते है।

आवेदक के कोई अन्य रास्ता मौके व राजस्व रिकार्ड के अनुसार नही लगता है एवं यही रास्ता सबसे कम दूरी का है जो आवेदक द्वारा चाहे गये ख0न0 से है एवं मौके

र हस्तेडा बधाल सडक से गीदा का बास जाने वाली डामरिकण सडक के ख0न0 1569/2586 से लगता है।

रास्ते में जाने वाली भूमि की डी0एल0सी0 दर 1496796 प्रति है0 है। मौके पर राजस्व रिकार्ड के अनुसार आवेदक के रहवास तक आने जाने हेतु रास्ता नही होने से रास्ता दिया जाने की अभिशंषा की गयी है।

प्रा0 पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, जवाब प्रार्थना पत्र, तहसीलदार चौमूं रिपोर्ट दिनांक 09.02.2021 नक्शा ट्रेस, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र में मुख्य रूप से निम्न बाते देखे जाने योग्य है–

1. क्या चाहा गया रास्ता कृषि कार्य हेतु ही प्रयुक्त होना है ?
2. क्या आवेदक/प्रार्थी की जोत तक पहुंचने का कोई भी मार्ग उपलब्ध नहीं हैं ?
3. यदि एक से अधिक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है तो कौन सा मार्ग न्यूनतम दूरी का हैं ?

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, तहसीलदार चौमूं रिपोर्ट 09.02.2021 का अवलोकन किया गया। जिसमें प्रार्थी के पास कोई वैकल्पीक रास्ता नही होना पाया गया एवं तहसीलदार चौमूं रिपोर्ट दिनांक 09.02.2021 के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ही कम दुरी का होना पाया गया। अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर विचार करने पर न्यायालय का यह अभिमत है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता कृषि कार्य हेतु प्रयुक्त होना है। आवेदक का जोत तक पहुचने का कोई भी मार्ग उपलब्ध नही है। तहसीलदार चौमूं रिपोर्ट दिनांक 09.02.2021 अनुसार कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है तथा प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता न्युन्तम दुरी का है। प्रार्थी को अपनी भूमि पर काश्त करने हेतु रास्ता की भूमि का मुआवजा डीएलसी की दर का दो गुणा राशि अप्रार्थीगण को हिस्से अनुसार दिलाया जाकर तहसीलदार चौमूं रिपोर्ट दिनांक 09.02.2021 के संलग्न नक्शे अनुसार ख0न0 1523 में 82 मीटर लम्बाई x 4 मीटर चौडाई कुल 328 वर्ग मीटर भूमि रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0 पत्र 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं तथा मुताबिक तहसीलदार चौमूं रिपोर्ट दिनांक 09.02.2021 के अनुसार वाके ग्राम आष्टीकलां तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में स्थित तहसीलदार चौमूं के संलग्न नक्शे अनुसार प्रदर्शित ख0न0 1523 में 82 मीटर लम्बाई x 4 मीटर चौडाई कुल 328 वर्ग मीटर भूमि का मुआवजा तहसीलदार चौमूं वर्तमान DLC दर के दो गुनी दर से गणना कर प्रार्थी से प्राप्त कर अप्रार्थीगणों को उनके दर्ज हिस्से अनुसार भुगतान करने के आदेश दिये जाते हैं तथा तहसीलदार चौमू को उक्त राशि की जमा कर अप्रार्थीगणों को उनके दर्ज हिस्से अनुसार भुगतान करने एवं संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता कायम करने के आदेश दिये जाते हैं। नक्शा ट्रेस निर्णय का भाग रहेगा। पालना के लिये तहसीलदार चौमू को निर्णय की प्रति भेजी जावें।

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 13.09.2023 को [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Digitally signed by Rajesh Jakhar
Date: 2024.04.16 10:00:25 IST
Reason: SelfAttested

राजेश जाखड
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर